न्यायालय जिला कलक्टर खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

अपील संख्या 12 / 107 / 2025 रजि० नं0 2025 / 363 प्रवेश तिथि 13.08.2025

अपीलार्थी :–	प्रत्यर्थी :–
सोनू कुमार पुत्र राजेश कुमार ग्राम करवड की ढाणी ग्राम पंचायत इकरोटिया तहसील कोटकासिम जिला खैरथल–तिजारा।	राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

–: निर्णय :– दिनांक 24.09.2025

1– अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा–6 (1) के अन्तर्गत राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान) को प्रथम आवेदन पत्र दिनांक 26.06.2025 प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो पर सूचना चाही गई, जो उन्हें उपलब्ध नहीं कराई गई। अतः वांछित सूचना उन्हे दिलवाई जावें।

2– अपीलार्थी द्वारा अपील पेश कर निवेदन किया है, कि राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं एवं अतिरिक्त जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान) द्वारा अपेक्षित सूचना उपलब्ध नहीं करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावें।

3– अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर वाँछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं एवं अतिरिक्त जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान) से जरिये नोटिस क्रमाक 1269 दिनांक 25.08.2025 से जवाब तलब किया गया, एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी कर, यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है, तो दिनांक 01.09.2025 को उपस्थित आवें। नियत तिथी को अपीलार्थी उपस्थित हुआ।

4–राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान) ने जर्ये पत्राक लो.सू. अ. / प्र.अ. / खैरथल–तिजारा / 2025 / 1327 दिनाक 04.09.2025 के द्वारा जवाब पेश करते हुऐ पूर्व में ही प्रेषित जवाब की प्रति संलग्न कर भिजवायी गयी है, जो शामिल मिसल किया गया। प्रकरण में प्रस्तुत जवाब से स्पष्ट है, कि अपीलार्थी के प्रथम आवेदन पत्र दिनांक 26.06.2025 में वर्णित तथ्यो पर बिन्दूवार जवाब अपीलार्थी को भिजवाया जा चुका है। किन्तु पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है, कि अपीलार्थी के प्रकरण में सूचना काफी विलम्ब से भिजवाया गया है, जबकि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के विधिक प्रावधानानुसार नियत समय–अवधि का विशेष ध्यान रखा जावे।

5–पत्रावली का अवलोकन किया। राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान) द्वारा समुचित जवाब प्रेषित किया जा चुका है। कोई कार्यवाही किया जाना शेष नही है, अपील अपीलार्थी खारिज किये जाने योग्य है।

6–अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। निर्णय की प्रमाणित–प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जायें। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल रिकार्ड हो।

7–आज दिनांक 24.09.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(किशोर कुमार)
जिला कलक्टर
मजिस्ट्रेट खैरथल–तिजारा (राज०)